

मूल घाघ में डिग्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

1. सितार पुत्र मनीराम जाट
जाट निवामी नेठराना आदि

बनाम

1. मनीराम पुत्र रामतात जाट
नि० नेठराना आदि

दावा बाबत :- 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 169/20

निर्णय दिनांक :- 16.12.21

वादी की ओर से वकील एड. मुनीराम की व प्रतिवादी सं० — की ओर से वकील मुणा लवामी की उपस्थिति में इरु वाद में आज तारीख 16.12.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

मुनाबिड राजीनामा रहीं भौजा उ B R W के खालास 54/59
के मुण 21, 22, 23, 30, 31 की कुल 9.462 हे० वाद भूमि जिसमें
प्रतिवादी मनीराम के नाम 7/30 हिस्सा व इसी प्रकार उ B R W के
खालास 60/76 के मुण 36 की कुल 1.0/20 हे० जिसमें
प्रतिवादी सं० 1 के नाम 0.40 हे० वाद भूमि राजस्व रिजॉर्ड में दर्ज
है, में प्रतिवादी सं० 1 मनीराम का नाम उत्तमपत्र डिया जाकर
वादीगण सितार, भादरा सिट पि० मनीराम को बहिस्ता कराकर
के खालास उरुआर घोषित डिये जाते व मुंडि प्रति० सं० 1 का प
ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पत्र में लागू का शून कर
सिपा हे क्षतिर लागू डिये हिस्से पर नियमानुसार पंजीपत्र
शून अदा करने व हक भूमि बंद रख है तो रख मुकदमे
पर उकीम्मा उत्तम राजस्व रिजॉर्ड में अंजन उर रिजॉर्ड
उरुआर डी।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़